जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना हीमपुर दीपा दिनांक – 17.09.2026

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/2026 धारा 115(2)/352/351(3) /333/191(2)/190/109(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 07.09.2026 को वादिनी श्रीमति मुशर्रत पत्नी मुख्तार अहमद निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.आशिक पुत्र इकरार 2.राशिद पुत्र इकरार 3.नासिर पुत्र इकरार 4. अंजू उर्फ राशिद पुत्र इकरार 5.अफजल पुत्र छुन्नू 6.गुल्लू पुत्र छुन्नू 7.जहीर पुत्र रियाजू व दो व्यक्ति अज्ञात निवासीगण ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया व वादिया के परिजनो के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी एव जान से मारने की धमकी दी गयी तथा साथ ही जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायरिंग की गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 114/2026 धारा 115(2)/352/351(3) /333/191(2)/190/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अफजल पुत्र छुन्नू निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकल्न व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अफजल पुत्र छुन्नू निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमंचे 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर(नाल में फसा हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम----

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. का0 3119 अतीश मलिक थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. का0 1105 शादाब थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना बढ़ापुर   दिनाँक – 17/09/2026

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 155/26 धारा 324(5) , 132 बीएनएस व धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण मय चोरी गये यूकेलिप्टिश के पेड़ सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं कार्यवाही-

दिनांक 15.09.2026 को वादी श्री विक्रान्त कुमार वन रक्षक साहूवाला रेंज थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढ़ापुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 15.09.2026 को सूचना मिली कि साहूवाला रेंज के इनायतपुर बीट कक्ष संख्या-10 में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचने पर करीब कुछ व्यक्ति यूकेलिप्टस के 14 पेड़ काटकर गिरा चुके थे। तहरीर में उक्त व्यक्तियों में शमशाद अहमद, अर्जुन, राजिक, अब्दुल्ला, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, राजिक, शानू, सनोवर सहित अन्य व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। रोकने का प्रयास करने पर उक्त सभी व्यक्ति मारपीट पर उतारू हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर पर मु0अ0सं0-155/2026 धारा 324(5) बीएनएस एवं धारा 26 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में बयान वादी ,निरीक्षण घटनास्थल व वन विभाग के कटे पेड़ो/चोरी गये पेडो की 09-09 फीट के 08 गट्टे यूके लिप्टिश के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 132,324(5),303(2),317(2) बीएनएस व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण-

थाना बढापुर पुलिस द्वारा पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. अर्जुन पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह निवासी मौहल्ला तिबडी थाना कोतवाली शहर बिजनौर व 2.शाहिद पुत्र पीरू निवासी मौहल्ला पक्का तालाब कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अर्जुन पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मौहल्ला तिबडी थाना कोतवाली शहर बिजनौर ,
2. शाहिद पुत्र पीरू उम्र करीब 60 वर्ष निवासी मौहल्ला पक्का तालाब कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 155/26 धारा बनाम 132,324(5),303(2),317(2) बीएनएस व 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

09-09 फीट के 08 गट्टे यूकेलिप्टिश

पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद- बिजनौर
2. हे0का0 434 आशीष कुमार थाना बढापुर जनपद- बिजनौर
3. कां0 50 मुकुल कुमार थाना बढापुर जनपद- बिजनौर
4. कां0 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद- बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 17.09.2026**

मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री एवं प्रयोग के विरुद्ध यातायात पुलिस जनपद बिजनौर की कार्रवाई, दुकानदारों को नोटिस जारी

जनपद बिजनौर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन को अनावश्यक तेज वाहन ध्वनि से राहत दिलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा माडिफाईड साइलेंसर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

माडिफाईड साइलेंसर ऐसे परिवर्तित/अनधिकृत साइलेंसर होते हैं, जिनमें वाहन के मूल एग्जॉस्ट सिस्टम में परिवर्तन कर सामान्य से अधिक तेज धमाके जैसी आवाज उत्पन्न की जाती है। विशेष रूप से दोपहिया वाहनों में इस प्रकार के साइलेंसर का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके प्रयोग से वाहन की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक हो सकती है तथा सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों, पैदल यात्रियों एवं आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत्यधिक तेज आवाज के कारण **ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ सड़क पर अचानक तेज आवाज से अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकने तथा असहज स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है।** अस्पतालों, विद्यालयों, आवासीय क्षेत्रों एवं अन्य शांत क्षेत्रों में ऐसी तेज आवाज विशेष रूप से परेशानी का कारण बन सकती है।

इसी क्रम में यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा **माडिफाईड साइलेंसर की बिक्री करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं** तथा उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि ऐसे साइलेंसर की बिक्री अथवा वाहनों में लगाने का कार्य न किया जाए। दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित एवं मानक अनुरूप साइलेंसर/उपकरणों की ही बिक्री एवं फिटिंग की जाए।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भी सचेत किया गया है कि वे अपने वाहनों के मूल साइलेंसर में अनधिकृत परिवर्तन न कराएं तथा माडिफाईड साइलेंसर का प्रयोग न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध **प्रचलित यातायात नियमों एवं लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई** की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा आगे भी माडिफाईड साइलेंसर की बिक्री, फिटिंग एवं वाहनों में उनके प्रयोग के संबंध में अभियान जारी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

JKMAXX PAINTS
न्यू सरताज ऑटो सर्विस
बुलेट स्पेशलिस्ट

मो. शेरु